

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2011/1802-4/DCE/1412-38 दिनांक : 9 अगस्त, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 को सांय 4.30 बजे श्रीमती आनन्दी, आई.ए.एस. आयुक्त महोदया, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

सचिव ने बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2011 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। जो समिति के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण में पैनल/सहायक पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

प्राधिकरण कार्यालय में विभिन्न स्तरों से निम्नानुसार अधिवक्ताओं को पैनल अधिवक्ता व सहायक अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु पत्र प्राप्त हुए हैं। उम्मीदवार पैनल अधिवक्ता व सहायक अधिवक्ताओं के नाम निम्नानुसार है:-

- 1- श्री दिनेशमल भण्डारी - पैनल अधिवक्ता
- 2- श्री लूणकरण पुरोहित, - पैनल अधिवक्ता
- 3- श्री जयपालसिंह राठौड - पैनल अधिवक्ता
- 4- श्री गोपाल कृष्ण बोहरा - पैनल अधिवक्ता
- 5- श्री यशवन्त मेहता - पैनल अधिवक्ता
- 6- श्री दिलीपसिंह राजवी - पैनल अधिवक्ता
- 7- सुश्री रचना शर्मा - सहायक अधिवक्ता
- 8- श्रीमती रिनू व्यास - सहायक अधिवक्ता
- 9- श्रीमती श्वेता बोझा - सहायक अधिवक्ता
- 10- श्री निर्मल उपाध्याय - सहायक अधिवक्ता
- 11- श्री चन्द्रशेखर पुरोहित - सहायक अधिवक्ता
- 12- श्री राजू सारस्वत - सहायक अधिवक्ता
- 13- श्री नारायण प्रसाद औझा - सहायक अधिवक्ता

इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं की प्रतिवाद फीस 2100/- रुपये से बढ़ाकर 5000/- रुपये तथा सहायक अधिवक्ताओं की प्रतिवाद फीस 2000/- रुपये से बढ़ाकर 4500/- रुपये किये जाने हेतु पत्रादि प्राप्त हुए हैं। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु 8, ए.सी.जे.एम. नम्बर-1 हेतु 1, ए.सी.जे.एम. नम्बर-2 हेतु 3, सहायक कलक्टर न्यायालय हेतु 2, संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर न्यायालय हेतु 2, श्रम न्यायालय हेतु 2, जिला उपभोक्ता मंच हेतु 3, राज्य उपभोक्ता मंच हेतु 1, राजस्व मण्डल हेतु 1 पैनल अधिवक्ता नियुक्त है एवं 5 सहायक अधिवक्ता नियुक्त हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय, जिला न्यायाधीश न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सूची में अंकित श्री दिनेश मल भण्डारी, श्री लूणकरण पुरोहित, श्री गोपाल कृष्ण बोहरा एवं श्री दिलीप सिंह राजवी को पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। सहायक अधिवक्ता के संबंध में औचित्य सहित प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निदेशक-विधि को दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 3 :: विवेक विहार योजना के संबंध में विचार विमर्श

1- विवेक विहार योजना में आवेदन-पत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि दिनांक 1 अगस्त, 2011 एवं आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 5 अगस्त, 2011 नियत है। उक्त तिथियों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर अवगत कराया गया कि आदिनांक तक 50,700 आवेदन-पत्र विक्रय हो चुके हैं तथा करीब 2100 आवेदन-पत्र जमा हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ से विवेक विहार योजना संबंधी स्थगन आदेश बावजूद केवियट प्रस्तुत करने के पारित किया गया है। उक्त समग्र परिस्थिति में विवेक विहार योजना से संबंधित आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा कराने की अन्तिम तिथि को पुनर्निर्धारण हेतु सर्वसम्मति से आयुक्त महोदया, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अधिकृत किया गया।

2- विवेक विहार योजना में मुआवजा धारकों को आवंटित की जाने वाली विकसित आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि के आवंटन एवं लॉटरी की प्रक्रिया तय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर यह भी प्रस्तुत किया गया कि व्यवसायिक भूखण्डों की योजना बनाने हेतु निदेशक आयोजना को एक सप्ताह में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, चूंकि उनके अवकाश पर होने के कारण प्रगति नहीं हो सकी है। प्रक्रिया पूर्व में निश्चित की जा चुकी है उसी अनुरूप प्लानिंग तुरन्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: अफोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत आवंटित आवासगृहों में किशतों में वसूली के संबंध में विचार विमर्श

अफोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी मॉडल (4) 2009 की लॉटरी दिनांक 14.07.2011 को बरकतुल्लाह खॉं स्टेडियम मैदान में निकाली गई थी। सफल आवेदकों को प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किये जाने हैं। जिसकी राशि निम्नानुसार जमा करवाई जानी है। आवेदन पत्र की पंजिका के पृष्ठ संख्या 5 की तालिका 'अ' के अनुसार राशि किशतों में जमा करने का अंकित है। जिसमें ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. के आवासों की राशि जमा करने का उल्लेख किया गया है।

1- सफल आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी होने के 7 दिवस में निम्न प्रकार से प्रशासनिक शुल्क जमा करवाना होगा। निम्न राशि आवंटन पत्र प्राप्ति की दिनांक से जमा की जायेगी। जिसका प्रमाण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।

क्र.सं.	आय वर्ग	प्रशासनिक शुल्क रुपये
---------	---------	-----------------------

1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	2000
2.	अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)	3500

उपरोक्त प्रशासनिक शुल्क लागत में सम्मिलित नहीं होगा और न ही लौटाया जायेगा।

आवेदन पत्र की पंजीका के पृष्ठ 5 की तालिका 'अ' के अनुसार।

तालिका 'अ'

लानान्वित द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण एवं स्वयं जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जा सकेगी जो कि निम्न प्रकार से होगी :-

क्र.सं.	चरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	स्त्रोत
1.	पलैट की कुल कीमत	रुपये 2.40 लाख	रुपये 2.40 लाख	
2.	पंजीकरण राशि	7,000/-	15,000/-	पूर्व आवेदन के साथ जमा है।
3.	पूर्व ग्रहण राशि प्रोविजनल आवंटन के 30 दिवस में	10,000/-	20,000/-	स्वयं के
4.	पूर्व ग्रहण राशि प्रोविजनल आवंटन के 60 दिवस में	10,000/-	20,000/-	स्वयं के
5.	पूर्व ग्रहण राशि प्रोविजनल आवंटन के 90 दिवस में	10,000/-	20,000/-	स्वयं के
6.	स्वीकृत बैंक ऋण राशि प्रोविजनल आवंटन के 15 दिवस में (इस राशि का समायोजन पंजीकरण राशि में नहीं किया जा सकेगा)	1,00,000/-	1,00,000/-	स्वयं के स्त्रोत अथवा ऋण के माध्यम से
7.	प्रोविजनल आवंटन के 180 दिवस में	25,000/-	50,000/-	स्वयं के स्त्रोत अथवा ऋण के माध्यम से
8.	प्रोविजनल आवंटन के 210 दिवस में	25,000/-	50,000/-	स्वयं के स्त्रोत अथवा ऋण के माध्यम से
9.	प्रोविजनल आवंटन के 240 दिवस में	25,000/-	50,000/-	स्वयं के स्त्रोत अथवा ऋण के माध्यम से
10.	प्रोविजनल आवंटन	28,000/-	50,000/-	स्वयं के स्त्रोत

के 270 दिवस में		अथवा ऋण के माध्यम से
-----------------	--	----------------------

नोट:- भारत सरकार की रोकड़ अनुदान योजना अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रति आवास रुपये 50 हजार का पुर्नभरण किया जायेगा। आवंटी द्वारा उपरोक्त तालिका अनुसार निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर विलम्ब की अवधि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

सफल आवेदकों को आवंटन-पत्र व लीजडीड हस्तान्तरणीय जारी किये जाने हैं या अहस्तान्तरणीय क्योंकि इसमें भारत सरकार द्वारा प्रति आवास पर 50,000/- रुपये रोकड़ अनुदान योजना के अन्तर्गत सफल आवेदकों को दिया जायेगा। साथ ही असफल आवेदकों की जमा राशि लौटाई जाने बाबत निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटियों को प्रोविजनल आवंटन-पत्र जारी किया जावे तथा आवंटियों से उक्तानुसार राशि वसूल की जावे। लीज डीड के हस्तान्तरणीय/अहस्तान्तरणीय होने बाबत राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: विवेक विहार योजना के संबंध में प्राईवेट अधिवक्ता की नियुक्ति करने के संबंध में विचार विमर्श

माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 6383/2011 विचाराधीन है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी किया जाना आवश्यक है। अतः महाधिवक्ता एवं पैनल अधिवक्ता के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की विवेक विहार योजना की जनहित में शीघ्र क्रियान्विती के परिपेक्ष्य में अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति एवं फीस निर्धारित करने हेतु आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 269/1 में पहले काबिज व्यक्तियों के संबंध में।

ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 269/1 में पूर्व में ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार द्वारा जारी पट्टों एवं अतिक्रमण कर बसे परिवारों को समझाईश द्वारा पाली मुख्य सड़क की लगभग 35 बीघा भूमि से हटाकर पीछे की ओर इसी खसरे की भूमि पर व्यवस्थित किया गया है। उक्त परिवारों एवं कुछ बाड़े/ पट्टे के प्रकरण अवशेष रहने से उन्हें भूखण्ड देने एवं नियमन / पट्टे की कार्यवाही हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे कि कितने लोग वंचित रह गये तथा कितने लोग अधिक भूमि पर काबिज हो गये इत्यादि जानकारी उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत की जावे। अतिक्रमण से खाली करायी गयी भूमि मुख्य पाली रोड पर स्थित होने के कारण व्यवसायिक दृष्टि से

महत्वपूर्ण है। अतः इस भूमि पर व्यावसायिक योजना बनायी जावे साथ ही उक्त भूमि पर से बेदखल किये गये परिवारों को सर्वे सूची के अनुसार भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के लिए कार्यवाही की जावे। उपायुक्त-पूर्व श्री वासुदेव मालावत ने बैठक में अवगत कराया कि इसी खसरा नम्बर की भूमि के अन्तिम छोर पर बेदखली करते समय ही उक्त परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया था और तत्समय ऐसे परिवारों को निशुल्क भूखण्ड आवंटन/नियमन किये जाने का आश्वासन दिया गया था। उक्त बेदखल किये गये परिवारों में अधिकांश परिवारों के पास तहसीलदार या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे हैं। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि पुनर्वासित किये गये परिवारों को 100 वर्ग गज तक का भूखण्ड न्यूनतम रियायती दर पर उपलब्ध कराया जावे। इस हेतु तत्समय तैयार की गयी सर्वे सूची संलग्न करते हुए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: विकास कार्यों के संबंध में विचार विमर्श

विकास कार्यों के संबंध में मात्र एक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ। डिगाडी क्षेत्र में शिकारगढ़, महादेव नगर, रूपनगर, रावतनगर व प्रेमनगर में सड़क एवं नाला निर्माण हेतु 107.00 लाख रुपये की स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। उक्त क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के तहत अधिकांश पट्टे जारी किये जा चुके हैं। अतः निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों के संबंध में विचार विमर्श

प्रस्ताव संख्या 8 (1) :: सेंट ऐन्स स्कूल सोसायटी सेक्टर बी सरस्वती नगर, जोधपुर जरिये मैनेजर श्री जोसफ जोन ग्राम भाकरासनी खसरा संख्या 201, 202, 204 (पवनधाम) रकबा 16820.09 वर्ग मीटर आवासीय से शिक्षण संस्थान। भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 2/2011

आवेदक सेंट ऐन्स स्कूल सोसायटी, सेक्टर बी सरस्वती नगर, जोधपुर जरिये मैनेजर श्री जोसफ जोन ने ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 201, 202, 204 (पवनधाम) में भूखण्ड संख्या 9, 10, 37 से 40, 57 से 72, 84 से 115 कुल रकबा 16820.09 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 5 अप्रैल, 2011 को दो समाचार-पत्र यथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके क्रम में श्री जयप्रकाश कुमावत, संयोजक, सूचना का अधिकार जन जागृति मंच, कार्यालय के.के. कॉलोनी, सांगरिया रोड, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर ने दिनांक 13 अप्रैल, 2011 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है। जो पत्रावली में संलग्न है। जिस पर निर्णय लिया जाना है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में संपरिवर्तन तत्कालीन समय में प्रचलित नियमों के अनुसार तहसीलदार, लूणी द्वारा वर्ष 1992 में किया गया है। अतः संपरिवर्तन की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगवायी

जावे एवं निर्धारित चैक लिस्ट में उपायुक्त तथा सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव :: श्री हरजीत सिंह भूटानी पुत्र श्री मक्खनसिंह ग्राम तनावडा
संख्या खसरा संख्या 58/4/5 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा
8 (2) आवासीय से लघु उद्योग। भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण
संख्या 51/2011

श्री हरजीत सिंह भूटानी पुत्र श्री मक्खनसिंह ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 58/4/5 की 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवासीय से लघु उद्योग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया गया है। इसी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित 5 प्रकरण भी प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.सं.	प्रकरण संख्या	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण	चाहा गया भू-उपयोग
1-	52/2011	श्री भेंवरलाल ओस्तवाल पुत्र श्री राम गोपाल निवासी 17, नाहरसिंह जी का हत्था रातानाडा जोधपुर	ग्राम तनावडा खसरा संख्या 58/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा	आवासीय से लघु उद्योग
2-	53/2011	मैसर्स विश्वकर्मा इंजिनियर्स जरिये प्रोपराईटर श्री भेंवरलाल ओस्तवाल पुत्र श्री रामगोपाल निवासी 17 नाहरसिंह जी का हत्था रातानाडा, जोधपुर	ग्राम तनावडा खसरा संख्या 58/3/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा	आवासीय से लघु उद्योग
3-	54/2011	श्री हरजीत सिंह भूटानी पुत्र श्री मक्खन सिंह निवासी सुखमणि विला, शिव रोड, रातानाडा, जोधपुर	ग्राम तनावडा खसरा संख्या 58/3/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा	आवासीय से लघु उद्योग
4-	55/2011	श्रीमती पम्मी पत्नि श्री हरजीत सिंह भूटानी निवासी सुखमणि विला, शिवरोड रातानाडा, जोधपुर	ग्राम तनावडा खसरा संख्या 58/3/3 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा	आवासीय से लघु उद्योग
5-	56/2011	श्रीमती पम्मी पत्नि श्री हरजीत सिंह भूटानी निवासी सुखमणि विला, शिवरोड रातानाडा, जोधपुर	ग्राम तनावडा खसरा संख्या 58/4/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा	आवासीय से लघु उद्योग

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 5 मई, 2011 को दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवा गई। जिसके कम में चेयरमैन/सेक्रेट्री, लिगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, मंदिर स मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर ने दिनांक 7 मई, 2011 को आपत्ति प्रस्तुत की है। जो पत्रावली में संलग्न है। जिस पर निर्णय लिया जाना है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्राप्त आपत्ति पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित स्थल के आसपास रहवासीय क्षेत्र नहीं है तथा

आपत्ति सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा उपरोक्त प्रकरणों में आवेदन अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव :: जोधपुर एग्रीकलचर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम नान्दडा खुर्द
संख्या खसरा संख्या 3/1 रकबा 5950.00 वर्ग मीटर औद्योगिक
8 (3) से संस्थानिक। भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या
60/2011

आवेदक जोधपुर एग्रीकलचर प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट संख्या 208, एकता नगर, बनाड़ रोड, जोधपुर द्वारा ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 3/1 में 5950 वर्ग मीटर भूमि का औद्योगिक से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 14 मई, 2011 को दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके क्रम में चेयरमैन/सेक्रेट्री, लिंगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, मंदिर स मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर ने दिनांक 19 मई, 2011 को आपत्ति प्रस्तुत की है। जो पत्रावली में संलग्न है। जिस पर निर्णय लिया जाना है। प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार विद्यालय का सम्पर्क सड़क मार्ग व होटल का सम्पर्क सड़क मार्ग एक ही प्रतीत होता है इससे यह प्रकट होता है कि होटल परिसर में ही विद्यालय का संचालन होगा जो उचित नहीं है। अतः इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करायी जावे। संबंधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक स्वयं मौका देखकर एवं चैक लिस्ट में रिपोर्ट अंकित करते हुए उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से टिप्पणी देवे तथा प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव :: श्री प्रकाश हंसराज पटेल पुत्र श्री हंसराज उकाराम पटेल
संख्या ग्राम तनावडा खसरा संख्या 38/2/3 रकबा 2 बीघा 7
8 (4) बिस्वा आवासीय से औद्योगिक। भू-उपयोग परिवर्तन
प्रकरण संख्या 192/2010

आवेदक श्री प्रकाश हंसराज पटेल पुत्र श्री हंसराज उकाराम पटेल द्वारा ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 38/2/3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली है तथा आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों का कार्य प्रगति पर है। भूखण्ड के सामने 60 फीट की सड़क है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 15 मई, 2011 को दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके क्रम में चेयरमैन/सेक्रेट्री, लिंगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, मंदिर स मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर ने दिनांक 19 मई, 2011 को आपत्ति प्रस्तुत की है। जो पत्रावली में संलग्न है। जिस पर निर्णय लिया जाना है। प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति के संबंध में संबंधित उपायुक्त की रिपोर्ट मंगवायी जावे साथ

ही उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक की बैंक लिस्ट में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा उपायुक्त से आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रही अन्य औद्योगिक इकाईयों के भू-उपयोग परिवर्तन व रूपान्तरण के संबंध भी जांच करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव :: प्रेस्कॉन हॉस्पिटैली प्राईवेट लिमिटेड ग्राम मोगड़ा खसरा संख्या 141/3 (प्रेस्कॉन सिटी) में स्थित भूखण्ड संख्या डब्ल्यू-111 से डब्ल्यू-138 कुल क्षेत्रफल 6899 वर्ग गज भूमि का आवासीय से पर्यटन यूनिट भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 में प्रस्तुत हुआ। जिस पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा ग्राम मोगड़ा खसरा संख्या 141/3 (प्रेस्कॉन सिटी) में स्थित भूखण्ड संख्या डब्ल्यू 111 से डब्ल्यू 138 कुल क्षेत्रफल 6899 वर्ग गज भूमि का आवासीय से पर्यटन यूनिट भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 में प्रस्तुत हुआ। जिस पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

प्रस्ताव संख्या 2 (23) :: ग्राम मोगड़ा खसरा संख्या 141/3 (प्रेस्कॉन सिटी) में स्थित भूखण्ड संख्या डब्ल्यू 111 से डब्ल्यू 138 कुल क्षेत्रफल 6899 वर्ग गज भूमि का आवासीय से पर्यटन यूनिट भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 34/2010 आवेदक प्रेस्कॉन हॉस्पिटैली प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई

आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा ग्राम मोगड़ा खसरा संख्या 141/3 (प्रेस्कॉन सिटी) में स्थित भूखण्ड संख्या डब्ल्यू 111 से डब्ल्यू 138 कुल क्षेत्रफल 6899 वर्ग गज भूमि का आवासीय से पर्यटन यूनिट भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन करने पर कार्यालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गयी।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 7 जुलाई, 2010 को सूचना का प्रकाशन करवाया जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

आवेदक द्वारा 28 भूखण्डों को एक साथ जोड़कर एक भूखण्ड के रूप में व्यवसायिक भू-उपयोग करना चाहता है। प्रस्ताव के अनुसार ले-आऊट प्लान की 3 सड़कें खत्म हो रही हैं। इस प्रकार से सुविधा क्षेत्र कम होगा। अतः व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक के प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा 28 भूखण्डों को एक साथ जोड़कर एक भूखण्ड के रूप में पर्यटन यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। इससे ले-आऊट प्लान में अंकित 3 सड़कें खत्म हो रही हैं। अतः निर्णय लिया गया कि आवेदक सर्व प्रथम भूखण्डों के पुनर्गठन का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्गठन के आवेदन पर निर्णय ले-आऊट प्लान समिति में होने के उपरान्त ही प्रकरण पुनः भू-उपयोग परिवर्तन के लिए बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 (6) :: श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लॉट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090/740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुली रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से

**वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग
परिवर्तन प्रकरण संख्या 184/2010**

श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासी गण प्लाट संख्या 113, गोलफकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090/740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुली रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। मौका रिपोर्ट अनुसार मकान व चार दीवारी बनी हुई है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 19 मई, 2011 को दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में चेयरमैन/सेक्रेटरी, लिंगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, मंदिर स मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर ने दिनांक 19 मई, 2011 को आपत्ति प्रस्तुत की है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण में रीको से आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा उपायुक्त व उप नगर नियोजक की बैंक लिस्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव :: ग्राम मण्डोर खसरा संख्या 652/1 में 2690 वर्ग गज भूमि
संख्या का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ
8 (7) भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्रीमती रीतू देवडा।
(प्रकरण संख्या एफ. 37/46/2009 भूउप)

श्रीमती रीतू देवडा ने ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 652/1 में 2690 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव संख्या 2
(22)

ग्राम मण्डोर खसरा संख्या 652/1 में 2690 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्रीमती रीतू देवडा। (प्रकरण संख्या एफ. 37/46/2009 भूउप)

आवेदक द्वारा ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 652/1 में 2690 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्रों में दिनांक 13 नवम्बर, 2010 को सूचना का प्रकाशन करवाया गया जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में होटल को जोड़ने वाली सड़क 15 फीट चौड़ी है। मौके पर लगभग 274 फीट लम्बाई व 87 चौड़ाई व 70 फीट ऊँचाई का निर्माण कर रखा है।

प्रकरण समिति के समक्ष समस्त तथ्यों के साथ समिति की 8वीं बैठक दिनांक 21 मई, 2010 में प्रस्तुत किया गया। समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पर पर्याप्त चौड़ाई की सड़क उपलब्ध नहीं होती है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नवि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के अनुसार होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थीया द्वारा उक्त आवेदित भूमि पर 60 फीट चौड़ी सड़क किस प्रकार से उपलब्ध करवायी जावेगी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जावे। साथ ही मौके पर हुए निर्माण की विस्तृत जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। मौके पर निर्माण बिना किसी की अनुमति से किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जावे।

आवेदक द्वारा नवीन परिपत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2010 के बिन्दु संख्या संदर्भ में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया गया है कि, "ऐसे प्रकरण जिन पर आपत्तियाँ आमंत्रित कर ली गई हैं परन्तु निर्णय नहीं लिया गया है, उनमें पूर्व मापदण्डों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। परन्तु निर्णय हेतु क्षेत्राधिकार नवीन परिपत्र के अनुसार रहेगा जिसमें स्थानीय स्तर पर ही अधिक संख्या में प्रकरणों का निस्तारण हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के कम में प्रकरण पुनः समिति की बैठक दिनांक 8 जुलाई, 2010 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि पर एप्रोड सड़क उपलब्ध नहीं हो रही है। अतः प्रकरण निरस्त किया जाता है।

आवेदक द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का पुनर्विलोकन कर भू-उपयोग कर आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 2010 एवं समिति द्वारा पूर्व की बैठकों में प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णय के कम में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में अपील दायर की गयी है जिसमें निवेदन किया गया है कि उनके प्रकरण को वर्तमान प्रचलित भू-उपयोग परिवर्तन विनियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर पुनः निर्णय लिया गया जावे। अतः प्रकरण का वर्तमान प्रचलित नियमों/ विनियमों के अन्तर्गत पुनः परीक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3 (43) नविवि/3/09 दिनांक 27 जुलाई, 2010 का अवलोकन किया गया। बैठक में यह स्थिति भी स्पष्ट हुई कि आवेदक द्वारा मौके पर निर्माण हो रहा है एवं आवेदित स्थल को जाने वाली सड़क पर कृष्ण वाटिका एवं अन्य भूखण्डधारियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदक स्वयं की भूमि में निर्धारित 60 फीट चौड़ाई के लिए आवश्यक भूमि समर्पित करें एवं बिना अनुमति निर्माण के लिए निर्धारित शास्ती जमा करावे तो उक्त परिपत्र दिनांक 27 जुलाई, 2010 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: डी.जी.एस. एण्ड डी दर पर सामग्री कय करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा समय समय पर निम्नानुसार ए.सी. सक्षम स्वीकृति पश्चात् तुरन्त आवश्यकता के आधार पर डी.जी.एण्ड डी. दर पर उस कम्पनी के अधिकृत विक्रेता से कय किये गये/किये जाने हैं। इनके भुगतान एवं स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

क्र.सं.	स्थान	तादाद	मेक एवं अधिकृत विक्रेता
1-	उम्मेद उद्यान में म्यूजिकल फाउन्टेन हेतु (जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया)	1 Nos	वोल्टास, ज्ञान एजेन्सी, जोधपुर
2-	जोधपुर विकास प्राधिकरण स्कैनिंग हॉल में मशीनों हेतु	3 Nos	एल.जी. कूल एण्ड केयर, जोधपुर
3-	समाग्रीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण हेतु	2 Nos	एल.जी. कूल एण्ड केयर, जोधपुर
4-	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण हेतु	1 Nos	एल.जी. कूल एण्ड केयर, जोधपुर

5-	अधीक्षण अभियन्ता कक्ष हेतु	1 Nos	एल.जी. कूल एण्ड केयर, जोधपुर
6-	उपायुक्त (पश्चिम, उत्तर) कक्ष हेतु	2 Nos	एल.जी. कूल एण्ड केयर, जोधपुर

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार सामग्री कय करने हेतु कार्यवाही किये जाने पर अवगत करवाया गया कि डी.जी.एस.डी. रेट कान्ट्रैक्ट कय प्रक्रिया दिनांक से दो दिन पश्चात् ही अवधि समाप्त हो रही थी। इस कारण डी.जी.एस.डी. रेट कान्ट्रैक्टर के स्थान पर उसी संवदेक कम्पनी के अधिकृत विक्रेता से कय किया गया जिसमें प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में कय प्रक्रिया का अनुमोदन कर भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: ग्राम भदवासिया के खसरा नं. 74 पर काबिज भूखण्डधारियों को पट्टा जारी करने बाबत।
10

ग्राम भदवासिया तहसील जोधपुर के खसरा नं. 74 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम पर रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा व 16 बिस्वांसी है। उपरोक्त खसरा की भूमि पूर्व में श्री रामजीवन पुत्र श्री तेजाराम जाति माली की खातेदारी रही है। श्री रामजीवन द्वारा तत्कालीन नगर सुधार न्यास के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की 90 बी प्रक्रिया करवाकर न्यास को दिनांक 29.11.02 को समर्पित की गयी। उक्त खसरे की भूमि का ले-आउट प्लान तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा समर्पित भूमि से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का अनुमोदित कर दिया गया। उक्त खसरे की भूमि का कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा 16 बिस्वांसी है तथा अनुमोदित साईट प्लान का कुल रकबा 54154.11 वर्गगज का पारित किया गया है जो आवेदक की भूमि से 7 बीघा 1 बिस्वा व 8 बिस्वांसी अधिक क्षेत्रफल है। उक्त क्षेत्रफल के बारे में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मिलान किया गया तथा बाद रिकॉर्ड अवलोकन यह प्रतीत होता है कि ले-आउट प्लान/साईट प्लान में अधिक भूमि पास ही स्थित खसरा नं. 76/1 गै.मु. भट्टा राजकीय भूमि का भाग है। इस क्षेत्र में अधिकांश भूखण्डधारियों द्वारा पट्टे जारी करवा लिये गये हैं शेष भूखण्डधारी भी पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन कर रहे हैं। पिछले वर्ष प्रशासन शहरों के संग कैंप के दौरान भी गै.मु. भट्टा पर स्थित भूखण्डों के मालिकों द्वारा पट्टा लेने के लिए काफी आक्रोश जताया गया लगभग ऐसे भूखण्डों की संख्या 72 है तथा कुछ अन्य भूखण्डों का आंशिक भाग पास ही स्थित गै.मु. नाले की भूमि पर भी है। इसके अतिरिक्त इन खसरो की सम्पूर्ण आबादी मकानों का प्रतिशत 76.30 है तथा सुविधा क्षेत्र 23.70 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में गलत ले-आउट प्लान की वजह से सरकारी भूमि (गै.मु. भट्टा) पर स्थित भूखण्डधारियों व इस ले-आउट प्लान के अनुसार शेष रहे अन्य भूखण्डधारियों को पट्टा दिया जाये या नहीं दिया जाये।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राजकीय भूमि पर जिन लोगों ने पट्टे लिये हैं उनसे अतिरिक्त राशि वसूल की जावे। प्रकरण आवश्यक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। सरकारी भूमि 7 बीघा 1 बिस्वा जिनको पट्टे दिये अथवा देने हैं उनके लिए अलग से दर प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या :: कायलाना, उम्मेद उद्यान (पब्लिक पार्क) जोधपुर का हस्तान्तरण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को किये जाने के संबंध में।
11

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्र दिनांक 23.12.2010 द्वारा प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर को पत्र द्वारा निवेदन किया की उम्मेद उद्यान (पब्लिक पार्क) जोधपुर का सन्धारण वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त पार्क सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पति है।

यदि सार्वजनिक निर्माण द्वारा उम्मेद उद्यान (पब्लिक पार्क) को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तान्तरित किया जाता है तो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सन्धारण हेतु सहमत है। वर्तमान में उद्यान के रख-रखाव एवं सन्धारण हेतु जो बजट प्रावधान किया है उसके समान राशि का प्रवाधान आगामी 3 वर्षों की बजट में रखा जावे। तथा उद्यान के सन्धारण में नियुक्त कार्मिक/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के अधीन की जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3700-3703 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार उम्मेद उद्यान (पब्लिक पार्क) के रख-रखाव एवं सन्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. उक्त उद्यान का स्वामित्व सा.नि.वि. (महाकमा बागान) का ही रहेगा।
2. उक्त उद्यान परिसर में स्वरूप परिवर्तन/परिवर्धन के लिए सा.नि.वि. की पुर्वानुमति आवश्यक होगी।
3. उक्त परिसर के किसी भाग को किसी अन्य को लीज/किराये पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा एवं उक्त उद्यान का उपयोग केवल सार्वजनिक उद्यान के रूप में किया जा सकेगा।
4. उक्त परिसर में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
5. उक्त उद्यान के परिसर का सन्धारण एवं रख-रखाव अपने संसाधनों से करना होगा।
6. उक्त उद्यान के नल बिजली के बिलों का भुगतान प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।
7. उक्त उद्यान 5 वर्ष की अवधि के लिये हस्तान्तरित होगा एवं आपसी सहमति से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
8. संस्था/न्यास द्वारा वर्तमान में उक्त उद्यान पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जावेगा।

उपरोक्त शर्तों को सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 858-65 दिनांक 24.06.2011 को पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थाई रूप से उम्मेद उद्यान हस्तान्तरित कर निम्न संशोधित शर्तों पर स्वीकृति की गई है।

1. उम्मेद उद्यान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का रहेगा, परन्तु इसे जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को स्थाई रूप से हस्तान्तरित किया जावेगा।
2. उद्यान पर कार्यरत विभाग के समस्त कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को रखना होगा।

प्रकरण कार्यकारी समिति में आदेशार्थ एवं निर्णायार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि कायलाना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा शर्तों में

संशोधन बाबत समुचित आदेश जारी कर दिये हैं। अतः कायलाना रेस्ट हाऊस एवं समस्त परिसर को प्राधिकरण द्वारा ले लिया जावे एवं इनके संचालन हेतु समुचित नियम व शर्तें तय की जावे। उम्मेद उद्यान के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त उद्यान के संचालन व रखरखाव के लिए उद्यान में विभिन्न गतिविधियां संचालित कर राशि जुटाये जाने की अनुमति है या नहीं इसका अध्ययन कर तथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में कतिपय निर्देश जारी किये हुए हैं। अतः बैठक में यह तय किया गया कि सचिव, निदेशक-विधि व निदेशक-वित्त की संयुक्त समिति समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर आगामी बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि इस संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या :: वाम्बे योजना में श्रीमती सीमा पत्नि श्री खीवर खां को दोहरा आवासगृह आवंटन बाबत।
12

वाम्बे योजना की लॉटरी दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को की गयी थी। श्रीमती सीमा पत्नि श्री खीवर खां का नाम लॉटरी सामान्य वर्ग की सूची में एवं विकलांग वर्ग की सूची में क्रमशः आवासगृह सी-168 एवं सी-35 का आवंटन कम्प्यूटर त्रुटि के अनुसार हो गया था।

प्रार्थीनी को 2 आवासगृह आवंटन होने के कारण दोनों में से एक आवासगृह का आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया। चूंकि प्रार्थीनी विकलांग वर्ग से है। अतः प्रार्थीनी को मूल आवंटन सूची में विकलांग वर्ग में आवासगृह संख्या सी-235 आवंटन हुआ है। जिसका प्रार्थीनी को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया है। कम्प्यूटर त्रुटि द्वारा प्रार्थीनी को लॉटरी में दो जगह पर आवंटन होने से प्रार्थीनी को आवंटन पत्र जारी नहीं हो सका। अतः उक्त गली प्राधिकरण के स्तर पर होने से प्रार्थीनी को आवंटन पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवंटन-पत्र में 15 प्रतिशत ब्याज व एवं उस पर 5 प्रतिशत शास्ती नहीं वसूल की जानी प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थीनी को बिना शास्ति व ब्याज के आवंटन-पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या :: गैलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति को आवासीय प्लॉट आवंटित करने बाबत।
13

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा श्री जगमालसिंह राठौड को गैलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2001 17(ए) 2(1) गैलेन्ट्री अवार्ड होल्डर को 220 वर्ग मीटर आकार का भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है। जिसकी आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर राशि वसूलने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त नियम में वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र एवं कीर्ति चक्र विजेता को 220 वर्ग मीटर भूखण्ड उस क्षेत्र के 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। इस संबंध में शपथ-पत्र लिया जाना है कि गैलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति के नाम से भारत अथवा राजस्थान में भूखण्ड आवंटित नहीं है।

वर्तमान में प्राधिकरण की योजना राजीव गांधी योजना में भूखण्ड रिक्त है। अतः इस संबंध में प्रार्थी से सहमति लेकर राज्य सरकार के परिपत्र में प्रावधान के अनुसार

भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार राजीव गांधी योजना में प्रार्थी की सहमति लेकर नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: श्री महावीर प्रसाद शर्मा को प्राधिकरण कीदोनों योजनाओं में भूखण्ड आवंटन।

14

श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल वरिष्ठ लिपिक राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालेसर, जोधपुर द्वारा आवेदन क्रमांक 7261 राज्य कर्मचारी वर्ग में आवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.08.2008 के आय प्रमाण-पत्र 13453 रुपये का प्रस्तुत कर आवेदन किया था। प्रार्थी को सुन्दर सिंह भण्डारी नगर लॉटरी दिनांक 20.07.2009 को राज्य कर्मचारी वर्ग के अनुसार भूखण्ड संख्या 35 (39X69) आकार का आवंटन हुआ है।

उपरोक्त आवंटित भूखण्ड का प्रार्थी को राशि जमा कराने हेतु डिमाण्ड नोटिस दिनांक 19.08.2009 को जारी किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थी को दिनांक 13.01.2009 को आवंटन पत्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी को दिनांक 21.04.2010 को ब्याज एवं पेलेन्टी सहित डिमाण्ड नोट भिजवाया गया था। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई।

श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल राज्य कर्मचारी वर्ग से आय प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2009 के अनुसार (25160/- एवं पत्नि की आय 17111/-) कुल सकल आय 42271/- का आवेदन राजीव गांधी योजना में आवेदन क्रमांक 39218 का प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या बी 54 (12.50 x 22) आकार का भूखण्ड आवंटन हुआ है। तथा प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड का राशि जमा कराकर लीजडीड भी प्राप्त कर ली है। नियमानुसार शपथ पत्र के अनुसार 50 हजार से अधिक आबादी वाले किसी शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं होना चाहिए किन्तु प्रार्थी द्वारा दोनों योजना में भूखण्ड आवंटन लॉटरी द्वारा किये गये हैं। अतः उपरोक्त दोनों भूखण्ड निरस्त योग्य हैं। अतः श्री महावीर प्रसाद आवंटित भूखण्ड संख्या 35 सुन्दर सिंह भण्डारी नगर एवं बी 54 राजीव गांधी नगर को निरस्त कर प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष जाल साजी कर धोखाखड़ी की गई है। तथा उपरोक्त प्रकरण कुटुरचित हैं एवं प्रार्थी के विरुद्ध धोखाखड़ी का मुकदमा दायर उचित होगा। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा प्राधिकरण को गुमराह कर स्वयं अथवा अपने पत्नि के नाम भूखण्ड आवंटित करवाया गया है। इस हेतु उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दायर किया जावे तथा उन्हें एवं उनकी पत्नि को आवंटित दोनों भूखण्ड निरस्त किये जावे।

प्रस्ताव संख्या :: विज्ञापन नीति।

15

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के द्वारा समय समय पर अपनी सम्पत्ति की नीलामी निविदाओं के प्रसारण के विभिन्न योजनाओं में प्रारम्भ, लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह आदि के अवसर पर विज्ञप्ति/विज्ञापन आदि प्रकाशित कराये जाते हैं। इस संबंध में विज्ञापन नीति बनाये जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। कमेट्री द्वारा विचार विमर्श उपरान्त विज्ञापन नीति प्रस्तावित की है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से समिति द्वारा तैयार की गयी विज्ञापन नीति जो इस कार्यवाही का विवरण का भाग परिशिष्ट-2 है, पर विचार विमर्श किया गया एवं उक्त विज्ञापन नीति (परिशिष्ट-2 के रूप में इस कार्यवाही विवरण का भाग है) को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2011 / 1802-II/DKE/1412-38 दिनांक : 9 अगस्त, 2011
प्रतिलिपि -

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्धक, निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. उप निदेशक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. होमोपैथिक चिकित्सक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. होमोपैथिक चिकित्सक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

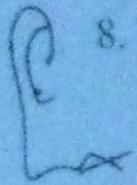
1412-1438

9/8/11.

परिशिष्ट-1

दिनांक 29 जुलाई, 2011 को अपरान्ह 4.30 बजे श्रीमती आनन्दी आई.एस. आयुक्त महोदया एवं अध्यक्ष महोदया, कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री टी.सी. छंगाणी, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
2. श्री वी.के. जैन, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
3. श्री ए.पी. खत्री, निदेशक-अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्रीमती अजरा, उपायुक्त-पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री एन.के. बंसल, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री चुन्नीलाल सैनी, उपायुक्त-उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

विज्ञापन नीति

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के द्वारा समय समयपर अपनी सम्पत्ति की नीलामी निविदाओं के प्रसारण के विभिन्न योजनाओं में प्रारम्भ, लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह आदि के अवसर पर विज्ञप्ति/विज्ञापन आदि प्रकाशित कराये जाते हैं। इस संबंध में विज्ञापन नीति बनाये जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त विज्ञापन नीति प्रस्तावित की है।

1- उक्त विज्ञापन नीति अनुसार प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार के विकास कार्य या अन्य प्रकार की निविदाओं के लिए विज्ञापन का प्रकाशन कार्य अनुमानित लागत मूल्य के आधार पर प्रकाशन का तरीका एवं समाचार-पत्र का निर्धारण किया जावेगा। उक्त निर्धारण संलग्न परिशिष्ट-1 में दी गयी तालिका "अ" के अनुसार होगा। उक्त तालिका के अनुसार किसी एक कार्य की लागत से प्रसारण क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए आधार विज्ञापन प्रसारण का क्षेत्र निर्धारित किया जावेगा।

2- प्रत्येक सप्ताह अधिकतम एक निविदा सूचना प्रकाशित की जावे। इसके लिए निदेशक-लेखा व निदेशक-अभियांत्रिक अपनी अधीनस्थ अधिकारियों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगे कि एक श्रेणी/प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों के लिए सप्ताह में एक विज्ञापन प्रकाशन हो और विज्ञापन पर न्यूनतम लागत आये। अति आवश्यक परिस्थितियों में प्राधिकरण आयुक्त की अनुमति से ही सप्ताह में एक से अधिक विज्ञापन प्रसारण किया जावेगा। पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड आर. के प्रावधानानुसार निविदा प्रकाशन न्यूनतम साईज में किया जावे एवं विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जावे।

3-

निविदाओं के प्रकाशन में जहां राज्यस्तरीय समाचार-पत्रों में एक से अधिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराया जाना है वहां पर यह ध्यान रखा जावे कि एक समाचार-पत्र अधिकतम प्रसारण संख्या वाला हो एवं दूसरा इसी स्तर का रोस्टर आधारित कम प्रसार संख्या वाला समाचार-पत्र होगा। (तालिका एच के अनुसार)

4- राज्य स्तरीय समाचार-पत्र में 70,000 से कम प्रसार संख्या वाला समाचार-पत्र सम्मिलित नहीं किया जावेगा। राज्य स्तरीय समाचार पत्र का राज्य के कम से कम 5 शहरों से प्रकाशन होना भी आवश्यक है।

5- प्रसारण संख्या का निर्धारण वित्तीय वर्ष की प्रारम्भ की तिथि अर्थात् 1 अप्रैल को ए.बी.सी. / सी.ए. / आर.एन.आई. द्वारा निर्धारित प्रसार संख्या को माना जावेगा।

6- क्षेत्रीय समाचार पत्र की प्रसार संख्या 35,000 न्यूनतम होना आवश्यक है व जोधपुर से प्रकाशन आवश्यक है।

7- समाचार-पत्रों में विज्ञापन रोस्टर पद्धति में जारी किया जावेगा। रोस्टर रजिस्टर संधारित सहायक जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा किया जावेगा और उक्त रोस्टर माह के पहले एवं तीसरे सोमवार को अवलोकन के लिए सचिव व आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया

जावेगा। रोस्टर रजिस्टर में समाचार-पत्र के कम का निर्धारण उक्त एजेन्सी (ए.बी.सी. / सी.ए. / आर.एन.आई) द्वारा निर्धारित की गयी प्रसार संख्या के आधार पर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

8- विज्ञापन सामान्यतः प्रातःकाल प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र को दिये जावेंगे।

9- विज्ञापन प्रकाशन के लिए आदेश देने हेतु आयुक्त, सचिव, निदेशकगण, वरिष्ठतम उपायुक्त एवं अधीक्षण अभियन्ता अधिकृत होंगे। अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त बिना अनुमति या अन्य किसी अधिकारी की अनुमति से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे विज्ञापन का भुगतान नहीं किया जावेगा।

10- सम्पत्ति की नीलामी के संबंध में जारी किये जाने वाले विज्ञापन के संबंध में संलग्न परिशिष्ट की तालिका "ब" के अनुसार प्रकाशन करवाया जावे।

11- नीलामी विज्ञापन का पुनः प्रकाशन प्रथम प्रकाशन के 50 प्रतिशत आकार में निर्धारित समाचार-पत्र में प्रकाशित करवाया जावेगा। पुनः प्रकाशन 2.00 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति होने की दशा में ही करवाया जावे।

12- मासिक नीलामी का कार्यक्रम तैयार कर प्रभारी अधिकारी, नीलामी द्वारा प्रतिमाह की 20 तारीख तक जनसम्पर्क अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ताकि आगामी माह में नीलामी कार्यक्रम माह प्रारम्भ होने से पूर्व ही समाचार-पत्र में प्रकाशित हो सके। नीलामी की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जावे कि प्रकाशन के लिए सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार निर्धारित 15 दिवस एवं 30 दिवस का प्रसार समय उपलब्ध हो सके।

13- सजावटी विज्ञापन सामान्यतः प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जावेगा किन्तु राजकीय संस्थाओं एवं विभागों को ऐसी विशेष परिस्थितियों में आयुक्त, प्राधिकरण की अनुमति से दिया जा सकेगा जिससे जोधपुर शहर की कला, संस्कृति, खेलकूद, ऐतिहासिक धरोहर आदि को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो।

14- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन उन्हीं चैनलों को दिया जावे जिनकी दरें सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान सरकार से अनुमोदित हो। इसके अलावा अन्य को विज्ञापन नहीं दिया जावेगा।

15- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व चैनल का पृथक से रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जावेगा। उक्त रोस्टर चैनलों की टी.आर.पी. के आधार पर प्राथमिकता क्रम में संधारित किया जावेगा। रजिस्टर का संधारण करते समय ऐसे चैनलों को ही सम्मिलित किया जावेगा जिनका प्रसारण राजस्थान के कम से कम 4 संभागीय मुख्यालयों पर किया जाता हो।

16- स्थानीय केबल टी.वी. की दरें डी.पी.आर. से अनुमोदित होने पर ही दिया जावे।

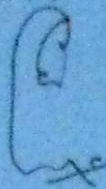
17- किसी भी परिस्थिति में टी.वी. चैनल पर साधारणतः 30 सैकेंड व 60 सैकेंड से अधिक की समयावधि का विज्ञापन नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में आयुक्त, प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक होगी।

18- उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त लोकप्रण, शिलान्यास, शुभारम्भ आदि कार्यक्रमों के लिए तालिका "स", आम सूचना/विज्ञप्ति आदि के लिए तालिका "द", होर्डिंग/यूनीपोल

आदि के लिए तालिका "ई" एवं 90-वी. नाम परिवर्तन व भू-उपयोग परिवर्तन आदि के लिए तालिका "जी" के अनुसार विज्ञापन/प्रचार प्रसार कराया जावेगा।

19- समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन कीदरें प्राधिकरण बैठक के निर्देशानुसार समय समय पर कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति, प्रकाशन लागत एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जावेगी।

20- उक्त नीति की व्याख्या /संशोधन /परिवर्धन में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का निर्णय अन्तिम होगा।



A. निविदाओं का प्रकाशन

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत	विधिक अनिवार्यता	अवधि	समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन दिया जाना है	विज्ञापन का साइज व प्रकार		
					Black & White	up to sq. c.m.	as per no. of works
1	100,000 रु. तक		7 दिन	एक क्षेत्रीय समाचार पत्र	Black & White	 sq. c.m.	as per no. of works
2	500,000 रु. तक		10 दिन	एक क्षेत्रीय समाचार पत्र राज्य स्तरीय समाचार पत्र	Black & White	 sq. c.m.	as per no. of works
3	500,000 रु. से अधिक किन्तु 10 लाख रु. तक		10 दिन	एक क्षेत्रीय समाचार पत्र एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र	Black & White	 sq. c.m.	as per no. of works
4	10 लाख रु. से अधिक किन्तु 200 लाख रु. तक		30 दिन	एक क्षेत्रीय समाचार पत्र दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र	Black & White	 sq. c.m.	as per no. of works
5	200 लाख रु. से अधिक किन्तु 500 लाख रु. तक		30 दिन	दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र एक राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र	Black & White	40 sq. c.m.	as per no. of works
6	500 लाख रु. से अधिक		30 दिन	एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दो राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र ट्रेड जैसनल	Black & White	50 sq. c.m.	as per no. of works

10

B. सम्पत्तियों की नीलामी

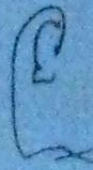
क्र.सं.	सम्पत्तियों की निर्धारित न्यूनतम बिक्री मूल्य	विधिक अनिवार्यता	समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन दिया जाना है	विज्ञापन का साइज व प्रकार	विशेष विवरण
1	20 लाख रु. तक		एक क्षेत्रीय समाचार पत्र एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र	Black & White 150 sq. c.m.	
2	20 लाख रु. से अधिक किन्तु 1 करोड़ रु. तक		एक क्षेत्रीय समाचार पत्र दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र	Black & White 200 sq. c.m.	
3	1 करोड़ रु. से अधिक किन्तु 5 करोड़ रु. तक		एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एक राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र	Black & White 200 sq. c.m.	
4	5 करोड़ रु. से अधिक किन्तु 10 करोड़ रु. तक		एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दो राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र	Colour 300 sq. c.m.	
5	10 करोड़ रु. से अधिक		दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दो राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र	Black & White 400 sq. c.m.	

C. आवासीय योजनाओं का प्रारम्भ, शिलान्यास, लोकार्पण एवं योजनाओं की शुरुआत

क्र.सं.	अवसर का विवरण	विज्ञापन की विधि	समाचार पत्र	विज्ञापन का साइज व प्रकार	कुल अनुमानित व्यय
1	आवासीय योजना 1000 भूखण्ड तक		दो क्षेत्रीय समाचार पत्र एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र	Black & White 200 sq. c.m.	
2	आवासीय बहुउद्देशीय योजना 2000 भूखण्ड तक		दो क्षेत्रीय समाचार पत्र दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र	Black & White 200 sq.c.m.	
3	आवासीय बहुउद्देशीय योजना 2000 भूखण्ड से अधिक		दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र एक राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र	Black & White sq.c.m.	
4	लोकार्पण शिलान्यास समारोह (लागत 1 करोड़ रु. से अधिक)		दो राज्य स्तरीय के समागीय संस्करणों	Colour 300 sq.c.m.	

D. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन

क्र.सं.	विज्ञापन का प्रकार	चैनल	टी.आर.पी	निर्धारित दर
1	आवासीय/बहुउद्देशीय योजनाएं	State T.V. Local T.V.		D.P.R. अधिकतम 60 सैकण्ड (अधिकतम अवधि प्रति स्लॉट) State - Prime Time Local - Prime Time
2	वाणिज्यिक/सांस्थानिक नीलामी (कम से कम 1 भूखण्ड 2 करोड़ रु से अधिक का हो)	State T.V. Local T.V.		D.P.R. 30-60 सैकण्ड (अधिकतम अवधि प्रति स्लॉट) State - Prime Time Local - Prime Time
3	F.M. Radio Channal	1 Local Station (Anyone)		Maximum 30 sec. DPR पर 25% Rebate
	वाणिज्यिक/सांस्थानिक नीलामी 1 करोड़ रु. से अधिक 2 करोड़ रु. से अधिक	Local Station-one All Rajasthan-two Outside Rajasthan-one		



E. विज्ञप्ति / आमसूचना / राष्ट्रीय पर्वों पर शुभकामना सन्देश विज्ञापन

1. अधिकतम 200 वर्ग से.मी. Black & White दो क्षेत्रीय समाचार पत्रों में एवं सूचना का महत्व प्रादेशिक / राज्य स्तरीय होने पर 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जावेगी। अत्यावश्यक परिस्थितियों में इससे अधिक आकार का होने पर आयुक्त की अनुमति ली जायेगी। राज्य सरकार से जारी परिपत्र, अधिसूचना व आमसूचना DPR दरों पर ही प्रकाशन होगा।

F. पैम्पलेट / पोस्टर / होर्डिंग्स / यूनीपोल आदि पर विज्ञापन

1. मासिक नीलामी-

पैम्पलेट-5000

यूनीपोल होर्डिंग-जोधपुर में दस स्थानों पर एवं संग्राम जिला मुख्यालयों के एक-एक स्थान पर

2. वाणिज्यिक / सांस्थानिक नीलामी-

यूनीपोल होर्डिंग-अलग-अलग दस स्थानों पर एवं

राजस्थान के अधिकतम प्रमुख (20) जिला मुख्यालयों के एक-एक स्थान पर

यूनीपोल व होर्डिंग पर विज्ञापन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अनुबन्धित विज्ञापन एजेंसियों को DAVP/DPR दरों पर बारी-बारी से दिया जावेगा।

G. 90बी नाम हस्तान्तरण, भू-उपयोग परिवर्तन आदि

सम्बन्धित आवेदक स्वयं के खर्चे पर जोधपुर क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों जिनकी प्रसार संख्या 1 लाख से अधिक हो (राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर /) में प्रकाशित कराया जावे। धारा 90बी एवं भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में 2 समाचार पत्रों में एवं नाम हस्तान्तरण के लिए एक समाचार पत्र में छपवाया जावे।

